

अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा (निर्वाचन आयोग)

निर्वाचन के लिये आचार संहिता

महासभा/क्षेत्रीय सभा निर्वाचन वर्ष-2025

इस संहिता के प्रावधान अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा निर्वाचन समिति द्वारा निर्वाचन आयोग के घोषित तिथि के दिनांक से परिणाम घोषित होने के दिनांक तक प्रभावशाली रहेंगे।

1. सामान्य आचरण:-

1. किसी उम्मीदवार (प्रत्याशी) या उसके कार्यकर्ता के व्यक्तित्व के जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिये जिसका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से संबंधित हो।
2. प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिये, प्रत्याशी के घर के सामने धरना देना, नारेबाजी करना या प्रदर्शन की कार्यवाही करने का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिये।
3. मतदान के दिन 100 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार, सभा या उपद्रव करना प्रतिबंधित है।
4. मतदाताओं (महासभा सदस्यों) को अपने गतव्य से मतदान केन्द्र तक किसी वाहन से लाना या ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
5. मतदान केन्द्र में या उसके आसपास निश्रुंखल आचरण करना, मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना, जोर जबरदस्ती करना या दुर्व्यवहार करना अपराध जनित श्रेणी में माना जायेगा।
6. किसी प्रत्याशी या उसके पक्ष में बांटी गई निर्वाचन प्रचार सामग्री किसी दूसरे प्रत्याशी या उसके कार्यकर्ता द्वारा विनिष्ट नहीं किये जायेंगे।
7. मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तथा सुचारु रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन अधिकारियों के साथ सौम्यता तथा सहयोगात्मक व्यवहार किया जावे।
8. मतदान केन्द्र के अंदर फोटो आदि लेना या अनावश्यक वाद विवाद उत्पन्न करना वर्जित रहेगा।
9. मतदाताओं को दी जाने वाली सदस्यता क्रमांक पर्चियां, सादे कागज पर रहेगी, जिसमें किसी प्रत्याशी का फोटो, नाम या चिन्ह अंकित नहीं होगा।
10. किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र (आइटम) पर किसी भी प्रकार का व्हाट्सअप मैसेज आदि अन्य किसी भी प्रत्याशी के विरुद्ध प्रचार अथवा एक्जिट पोल आदि में नहीं किया जा सकेगा।

2. मतदाताओं के लिये आचार संहिता - महासभा के संरक्षक/आजीवन सदस्य (मतदाता) ही मतदान कर सकेंगे।

2. मतदाता सूची में यदि किसी व्यक्ति का नाम दो या दो से अधिक स्थानों पर अंकित है तो उसे एक ही मत देने का अधिकार होगा।
3. पुनरीक्षित संशोधित मतदाता सूची में मतदाता का नाम जिस शहर/ग्राम के अन्तर्गत गहोई बंधु पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। वह उससे संबंधित मतदान केन्द्र पर ही मतदान कर सकेगा। कर्तव्य प्रमाण पत्र से संबंधित व्यक्ति इससे मुक्त रहेगा।
4. समस्त मतदाताओं को मतदान के दौरान फोटो युक्त परिचय पत्र लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा मतदान प्रक्रिया से वंचित रहेंगे। अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र अथवा शासन द्वारा उपलब्ध पेनकार्ड, आधारकार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, मोटर वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पास बुक आदि का उपयोग परिचय पत्र के रूप में किया जा सकता है। जिसमें मतदाता की फोटो तथा पता अंकित हो।
5. अतिवृद्ध, आसक्त अथवा विकलांग मतदाता, मतदान करते समय यदि आवश्यक समझें तो निर्वाचन अधिकारी का सहयोग ले सकेंगे।
6. मतदाता प्रत्याशियों से किसी भी प्रकार के प्रलोभन की मांग नहीं कर सकेंगे और न ही किसी भी प्रकार का प्रलोभन स्वीकार करेंगे।

3. उम्मीदवार (प्रत्याशियों) के लिये आचार संहिता:-

1. किसी भी उम्मीदवार (प्रत्याशी) को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जिससे किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचे। या उनमें विद्वेष या तनाव उत्पन्न हो।
2. प्रत्याशियों द्वारा सामाजिक मंच का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिये नहीं किया जाना चाहिये। वह व्यक्तिगत रूप से जनसभायें या प्रचार के दौरान अधिक से अधिक मतदान के लिये आग्रह करेंगे।
3. प्रत्याशियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिये, जो निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर डालते हो।
4. प्रत्याशियों द्वारा प्रचार सामग्री में मात्र हेन्डविल (पर्चे) का प्रयोग किया जा सकेगा। लेखन, ध्वनि विस्तारक, यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
5. प्रत्याशियों को मतदान के एक दिन पूर्व से मतदान के लिये सार्वजनिक सभा या प्रचार करना, नारे आदि लगाना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
6. प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रकार का प्रलोभन, पारितोषक, पद या धन का लालच देना आचार संहिता का उल्लंघन समझा जावेगा।

7. प्रत्याशीगण मतदान केन्द्रों पर अभिकर्ता नियुक्त कर सकेंगे जिसका प्रारूप गहोई बंधु में प्रकाशित रहेगा।
8. कोई भी प्रत्याशी या अभिकर्ता निर्वाचन कार्य या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का हस्तक्षेप या असहयोग नहीं करेंगे। तथा वह कार्य भी नहीं करेंगे जिससे निष्पक्षता का हनन होता हो।
- 4. निर्वाचन अधिकारियों को विशेषाधिकार :-** निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी/पीठासीन अधिकारी को निम्न विशेष अधिकार प्रदान किये गये हैं।
1. मतदान केन्द्र के बाहर या अंदर उपद्रव करने वाले व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल कार्यवाही की जावे।
 2. निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान डालने तथा निर्वाचन अधिकारियों से दुर्व्यवहार या जोर जबरदस्ती, करने पर कानूनी कार्यवाही की जावे।
 3. मतदान के दौरान मतपत्रों को विनिष्ट करने, दुरुपयोग करने, बाहर ले जाने आदि पर कानूनी कार्यवाही की जावे।
 4. उपरोक्त स्थितियाँ यदि नियंत्रण के बाहर हैं, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह कुछ समय के लिये मतदान रोक दें अथवा विषम परिस्थितियों में निरस्त करने की घोषणा कर दें।

5. मतपत्रों की गणना :-

1. निर्वाचन उपरांत मतगणना निर्वाचन अधिकारियों तथा मतदान केन्द्र प्रभारियों के सहयोग से मतदान केन्द्र पर ही होगी। तथा मतपत्र लेखा तैयार कर निर्वाचन आयुक्त को प्रस्तुत किया जावेगा।
2. सभी मतदान केन्द्रों से प्राप्त मतपत्र लेखों में अंकित मतों के अनुसार परिणाम घोषित किये जावेंगे।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी/पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी मतदान केन्द्र का मतदान किन्हीं कारणोंवश विशेष परिस्थितियों में निरस्त किया जाता है तो उस मतदान केन्द्र की मतगणना शून्य समझी जावेगी। तथा उस केन्द्र पर पुनः मतदान कराने हेतु निर्वाचन आयोग वाध्य नहीं रहेगा।

6. महासभा तथा क्षेत्रीय सभा पदाधिकारियों के लिये आचार संहिता :-

1. निर्वाचन नामांकन पत्र जमा करने के दिनांक से परिणाम घोषित होने तक की दिनांक तक महासभा अथवा क्षेत्रीय सभा के किसी भी पदाधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश, बैठक या सार्वजनिक कार्य नहीं किया जावेगा। जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया बाधित हो या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया जा रहा हो। शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान कराये जाने हेतु हर संभव प्रयास करेगा।

7. निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारियों हेतु आचार संहिता :-

1. निर्वाचन प्रक्रिया में संलग्न अधिकारियों को उनकी निष्पक्षता पर विश्वास होना अनिवार्य है तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जिस कारण वे किसी उम्मीदवार (प्रत्याशी) की मदद कर रहे हैं।
2. निर्वाचन में संलग्न समस्त पदाधिकारियों को एक प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके परिवारजन या रिश्तेदार प्रत्याशी तो नहीं हैं।
3. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा जिन सामाजिक महानुभावों, कार्यकर्ताओं को जो भी उत्तदायित्व सौंपे जा रहे हैं उनका शत प्रतिशत पालन करना उनका नैतिक दायित्व है, किसी महानुभाव द्वारा अवहेलना करने या जिम्मेदारी न निभाने पर आयोग द्वारा ऐसे महानुभावों के विषय में महासभा को उचित कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकेगा।

8. कर्तव्य प्रमाण पत्र :- जो मतदाता निर्वाचन कार्य में अपने स्थान से अन्य स्थानों में निर्वाचन संबंधित कार्यों में पदस्थ रहेंगे। उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा। तदनुसार वह जिस मतदान केन्द्र या क्षेत्र में पदस्थ हैं वहां मतदाता सूची के अंत में अपना नाम प्रविष्ट कराकर महासभा पदाधिकारियों के लिये मतदान कर सकेंगे।

9. डाक मतपत्र :- ऐसे स्थान जिनके मतदान केन्द्र 300 कि.मी. से अधिक दूरी पर निर्धारित किये गये हैं उन स्थानों से संबंधित गहोई बंधु में प्रकाशित महासभा संरक्षक/आजीवन (मतदाता) अपनी क्षेत्रीय सभा का नाम कोड सहित शहर/ग्राम का नाम कोड सहित तथा स्वयं का नाम, पता, सदस्यता क्रमांक सहित फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ एक आवेदन निर्वाचन आयुक्त महासभा के पत निर्वाचन आयुक्त, गहोई बंधु कार्यालय, गहोई बंधु भवन, राजा बाक्षर मन्दिर के पास, राजा बाक्षर की गोठ, दौलतगंज, ग्वालियर (म.प्र.) पिन-474001 पर डाक या कोरियर से मतदान दिनांक के एक माह पूर्व भेजेंगे। ताकि उन्हें रजिस्टर्ड डाक द्वारा मतपत्र भेजा जा सकें। निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मतपत्रों हेतु निम्न शहर इंगित किये गये हैं। अम्बाला, मुहाली, अजमेर, जयपुर, कोटा, ओरंगाबाद, हैदराबाद (सिरपुर), चेन्नई, बैंगलोर, सातूर (तमिलनाडू), लखीमपुरखीरी, बदायूं, जगदलपुर, पटना, कल कत्ता, खड़कपुर, आदि तथा ऐसे मतदाता उक्त डाक मतपत्रों को अभिलम्ब रजिस्टर्ड डाक द्वारा निर्वाचन आयोग के पते पर वापिस करेंगे। ताकि निर्वाचन दिनांक के पूर्व प्राप्त हो सकें अधिक विलम्ब से प्राप्त मतपत्रों द्वारा विचार नहीं किया जा सकेगा।

10. डाक मतपत्रों की गणना परिणाम घोषित होने के दिनांक के पूर्व मतदान दिनांक को निर्वाचन आयोगद्वारा गहोई बंधु कार्यालय ग्वालियर में की जावेगी। निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्र पर पदस्थ मतदान, पीठासीन व अन्य अधिकारी द्वारा संबंधित मतदान केन्द्र पर ही मतदान किया जावेगा।



आर.एन.गुप्ता
निर्वाचन आयुक्त



ई. रामनिवास छिरौल्या
निर्वाचन उपायुक्त